

अज अदालत शहादत कोठ मुकाम आसरे  
 जगा (सिंहपुर जवाहर सिंह) वनाम पुनीक व/० नारायण  
राजपूत नियाही जोडन मंगल नियाही जोडन कोठ  
वकील

किरम मुकदमा ७७७ काल्याणी विवेकायुक्त न 12/2018  
धारा 212 RTA Act

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

18/10/18 पुनीक दादा सिंह काल्याणी  
 के राजस्व फायदा कमी  
 धारा 212 RTA Act के अन्त  
 में किया गया है। राजस्व  
 फर्मा - एक डर रजिस्ट्रार  
 काल्याणी जारी समत तब  
 मेकू पणवली आसरे  
 दिनांक 25/10/18 को पेश है।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)  
 आसरे, जिला-जालौर (राज.)

25/10/18 पुनीक दादा सिंह  
काल्याणी 01 लेन तक के लिए  
वकील श्रीमोपाल जीनकर डाय  
वकायनामा खंडा किया गया  
जो शामिल पणवली किया गया  
पुनीक के वकील डाय काल्याणी  
विषयाया समत एक निवेदन  
किया गया जिस पर काल्याणी  
पणवली वकील डाय श्री खंडा

काल्याणी  
 2 मीनर  
 P.T  
 [Signature]

-समस्त-

6-11-19 परापूर्णा आष-पेडा हुर् / वनील -  
हुक्मेडा कुमार राजपुरोहित ठारा यिये गये  
आर्चना-49- एका असाव हुक्म समय  
यिया आकर परापूर्णा नाराय्या यिनांक  
11-11-19 को पेडा हो /

PK

11-11-19 परापूर्णा आष-पेडा हुर् / वनील नारायणी  
हुक्मेडा कुमार-राजपुरोहित ठारा यिये  
गये आर्चना-49 एका असाव हुक्म  
समय-वाह गये / जो एक और  
अनिश्चय-अपसर यिया आकर  
परापूर्णा नाराय्या यिनांक 29-11-19  
को पेडा हो /

PK

29-11-19 परापूर्णा आष-पेडा हुर् / सावित्रा भादिका  
यिनांक 11-11-2019- एका असाव हुक्म  
एक और अनिश्चय अपसर यिया आकर  
परापूर्णा नाराय्या यिनांक 9-12-19 को  
पेडा हो /

PK

9-12-19 परापूर्णा आष-पेडा हुर् / शर्मा एका  
राजपुरोहित-वाय पर संक 18/2018  
अथम पुरी से असाव हुक्म से  
उक्त असाव पर आगे चलाने का  
अनिश्चय-अपसर हो जाने से उक्त  
असाव पर अथम पुरी अथम  
हादरी से असाव यिया आता हो  
परापूर्णा नाराय्या हुक्म होकर असाव  
से कम हो /

PK